फा.स.11(2)/2005-लेखा एवं क्रय
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक 15-04-2013

सेवा में

विषय: की-टेलीफोन सिस्टम्स के लिए व्यापक अनुरक्षण संविदा - कोटेशन।

महोदय,

मुझे मंत्रालय में संस्थापित निम्नलिखित की-टेलीफोन सिस्टम्स के लिए प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए व्यापक अनुरक्षण सेवा संविदा हेतु कोटेशन आमंत्रित करने का निदेश हुआ है। **केवल संबंधित कंपनी के प्राधिकृत सेवा प्रदाता आमंत्रित किए जाते हैं।** मंत्रालय में संस्थापित सिस्टम्स का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**निम्नलिखित के कार्यालय में परिचालित की-टेलीफोन सिस्टम्स**	**अवस्थिति**	**निर्माता**
1.	संयुक्त सचिव का कार्यालय	87, संसद भवन,	एन.ई.सी. एस्पिला
2.	उप सचिव का कार्यालय	92, संसद भवन,	- वही -
3.	राज्य मंत्री (आर.एस.) का आवासीय कार्यालय	5, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली	- वही -

2. संविदा के लिए निबंधन और शर्तें निम्नलिखित निम्न प्रकार होंगी :-

क) संविदा प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। बताई गई दरें संविदा की अवधि के दौरान लागू रहेंगी और किसी भी कारण दरों के संशोधन की किसी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख) संविदा 'व्यापक अनुरक्षण सेवा' के लिए होगी अर्थात यदि किसी पुर्जे को बदले जाने की आवश्यकता है तो उसे संविदा के अंतर्गत ही बदला जाएगा और उपभोज्य सामान को छोड़कर किसी अतिरिक्त पुर्जे के लिए मंत्रालय द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया

जाएगा। यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह मशीनों के लिए असली अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध कराए और सभी मशीनों को चालू हालत में रखे।

ग) दरें सूचित करने से पहले इच्छुक फर्म सिस्टम्स की हालत की जांच कर सकती हैं। इस संबंध में वे अनुभाग अधिकारी (लेखा और क्रय) (टेलीफोन न.23034755) से संपर्क कर सकते हैं।

घ) टेंडरदाताओं को उपरोक्त की-टेलीफोन सिस्टम्स के अनुरक्षण का इससे पहले कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। टेंडरदाताओं को इस कार्य को करने के लिए अपनी सक्षमता सिद्ध करने के लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा और सुनाम का प्रमाण भी प्रस्तुत करना चाहिए। टेंडरदाता को कोटेशन प्रस्तुत करते समय फर्म के पैन कार्ड की प्रति भेजनी चाहिए। फर्म के पैन कार्ड की प्रति के बिना प्रस्तुत की गई कोटेशनों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

ङ) चयनित फर्म के लिए अपेक्षित अनुरक्षण सेवा उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी और वृत्तिक रूप से सक्षम कार्मिक प्रतिनियुक्त करना अपेक्षित होगा। प्रत्येक तिमाही में एक बार पूर्ण निवारक सर्विसिंग की जाएगी जिसे मंत्रालय द्वारा मानिटर किया जाएगा। मशीन की मरम्मत के लिए सभी शिकायतों पर शिकायत के 24 घंटे के अंदर कार्यालय परिसर में ही कार्रवाई की जाएगी। अत: कोटेशन में मालिक/फर्म के टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख होना चाहिए।

च) अनुरक्षण शुल्क का भुगतान तिमाही की समाप्ति के पश्चात त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। जब संविदाकार के कारण उपकरण ठीक काम नहीं कर रहे होंगे तो उस अवधि के दौरान कोई शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

छ) मशीनों को चालू रखने अथवा रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर खराबी को संतोषजनक रूप से ठीक करने के लिए फर्म की ओर से किसी चूक के कारण संविदा के मूल्य से यथानुपात कटौती, जैसा की सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाए, की जाएगी।

ज) संविदा अवधि की समाप्ति पर मशीनों को चालू हालत में मंत्रालय को सौंपना भी संविदाकार फर्म की जिम्मेदारी होगी, ऐसा न करने पर फर्म मंत्रालय को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित परिसमापन क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

झ) टेंडरदाताओं के लिए कोटेशन के साथ वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के नाम दिल्ली/नई दिल्ली में किसी अनुसूचित बैंक पर देय क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रु.3000/- (तीन हजार रुपये केवल) की धरोहर राशि जमा कराना अपेक्षित है। सफल टेंडरदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को संविदा की निबंधन और शर्तों की सम्यक पूर्ति/निष्पादन हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा। उक्त प्रतिभूति राशि को संविदा के सफल समापन के पश्चात संविदाकार की ओर से देय राशि के समायोजन के अधीन रहते हुए लौटा दिया जाएगा। अन्य असफल टेंडरदाताओं से प्राप्त धरोहर राशि को बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।

ञ) सरकार के पास किसी भी टेंडर को चुनने अथवा किसी एक या सभी टेंडरों को बिना कोई कारण, चाहे जो भी हो, बताए अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। सरकार के लिए न्यूनतम कोटेशन को स्वीकार करना भी बाध्यकारी नहीं होगा और किसी टेंडरदाता की कोटेशन को अस्वीकृत करने के कारणों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार के पास बिना कोई कारण बताए, संविदाकार को एक महीने का नोटिस देकर, संविदा को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ट) सेवा प्रदाता की संतोषजनक सेवा के अधीन रहते हुए संविदा का नवीनीकरण किया जा सकता है।

3. यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें स्वीकार्य हैं तो अवर सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय, कमरा न.92, संसद भवन, नई दिल्ली को संबोधित कोटेशन मोहरबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर **'की-टेलीफोन सिस्टम्स के लिए व्यापक अनुरक्षण संविदा हेतु कोटेशन'** लिखा हो, देर से देर **29 अप्रैल, 2013** को अपराहन 3.00 बजे तक अनुभाग अधिकारी (लेखा और क्रय), कमरा न. 93, संसद भवन (दूरभाष:23034755) की अभिरक्षा में रखे टेंडर बॉक्स में जमा किए जा सकते हैं। उस समय तक प्राप्त कोटेशन 29 अप्रैल, 2013 को अपराहन 3.30 बजे कमरा न. 92, संसद भवन, नई दिल्ली में खोली जाएंगी।

भवदीय,

ह0/-
(रामेश्वर प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23034899